जिला परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, जिला–बेमेतरा(छ.ग.)

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

mis.bemetara@gmail.com

विज्ञा. क्र./ 489 /समग्र शिक्षा/पीएम श्री/स्था./भर्ती/2026–27 बेमेतरा, दिनांक 02/09/2026

–:: अंशकालीन भर्ती विज्ञापन::–

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा रायपुर के प्रशा. एवं वि.स्वी. आदेश पत्र क्र./1343/समग्र शिक्षा/PM-SHRI/Music Instructor रायपुर, दिनांक 25.06.2026 एवं राज्य परि. कार्या. समग्र शिक्षा रायपुर के पत्र क्र./1345/समग्र शिक्षा/PMSHRI/2026 रायपुर, दिनांक 25.06.2026 के निर्देशानुसार पीएम श्री योजना के अंतर्गत जिले के पीएम श्री विद्यालयों में संगीत प्रशिक्षकों की सेवाएं अंशकालिक के रूप में **10 माह** के लिए इसी वित्तीय वर्ष **(31 मार्च 2027)** तक लिया जाना है। जिले के 07 पीएम श्री विद्यालयों हेतु 07 संगीत प्रशिक्षक अंशकालीन भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के अनुसार पीएम श्री विद्यालयों मे संगीत प्रशिक्षक अंशकालीन पदों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार अर्हता धारक पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांक 15/09/2026 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है।** निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	जिला	वि.खं.	स्कूल का नाम	पदनाम	प्रति माह मानदेय रूपये	पदों कि संख्या
1	बेमेतरा	बेमेतरा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शिवलाल राठी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बेमेतरा	संगीत प्रशिक्षक	10000	1
2		बेमेतरा	पीएमश्री शास. प्राथ.शाला उघरा		10000	1
3		नवागढ़	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल नवागढ़		10000	1
4		नवागढ़	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारो		10000	1
5		साजा	पीएमश्री पीएमश्री शासकीय प्राथ.शाला घोटवानी		10000	1
6		साजा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल देवकर		10000	1
7		साजा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल थानखम्हरिया		10000	1
योग						7

चयन प्रक्रिया

1. संगीत प्रशिक्षक हेतु न्युनतम योग्यता किसी मायन्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष डिग्री वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
2. आयुसीमा छ.ग. राज्य शासन द्वारा अस्थाई नियुदित हेतु निर्धारित आयुसीमा में नियमानुसार छुट लागू होगी।
3. संगीत प्रशिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों के निर्धारित योग्यता का 80 प्रतिशत अंक एवं कार्यानुभव का – 20 अंक (1 वर्ष 05 अंक, 2 वर्ष 10 अंक, 3 से 4 वर्ष 15 अंक, 5 वर्ष 20 अंक) जोड़कर मेरिट सूची पर निर्धारित होगा।
4. संगीत प्रशिक्षक हेतु बिन्दु क्रमांक 03 के अनुसार आवेदक के अंको को जोड़कर **मेरिट के आधार पर चयन** किया जावेगा।
5. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का पात्र–अपात्र सूची तैयार करने के पश्चात् मेरिट सूची के आधार पर चयन की जाएगी।
6. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसका चयन किया जाएगा।

7. नियोक्ता द्वारा पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 23/09/2026 को जारी कर दिया जावेगा।
8. पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के तिथि से दिनांक 30/09/2026 तक दावा आपत्ति किया जा सकेगा।
9. चयन के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. दिनांक 09/10/2026 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय जिला अधिकारी बेमेतरा में चस्पा की जावेगी।

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा :-

चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगती पायी गई तो वह निरर्हित हो जाएगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

नियम व शर्ते :-

1. उम्मीदवारों की सेवा अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए होगा। अतः आवेदक द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही किया जा सकेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नही होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले मे अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नही दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. चयनित उम्मीद्वार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पडेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
5. समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी) बेमेतरा डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अपूर्ण आवेदन/निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
7. कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जावेगा।
8. प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित होने किसी प्रकार की कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।
9. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य प्रकार का आवेदन/अपिल विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
10. आवेदक को स्नातक, हायर सेकेण्डरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रमाण, जन्मतिथि के लिए 10 वीं का प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ जमा कर ना होगा।
11. अंशकालिक संगीत प्रशिक्षकों का चयन इसी **वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2027)** तक ही रहेगा। इसके बाद सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगा।
12. सेवा प्रदाता संगीत प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय **प्रतिमाह राशि रू.10000.00** दिया जाना है।
13. सेवा प्रदाता द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में बच्चों को संगीत के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
14. सेवा प्रदाता संगीत प्रशिक्षकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु कालखण्ड शाला द्वारा आंबटित किया जाना है।
15. पीएम श्री विद्यालय के लिए उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/प्रधानपाठक को जिम्मेदारी दी जायेगी।
16. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा दैनंदिनी संधारण आवश्यक होगा। जिसे स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
17. विद्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का जिसमें दैनिक कार्यो का विवरण होगा तथा सौंपे गये उत्तर दायित्वों को निर्वहन करना होगा।

अन्य निर्देश :–

1. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूतम शैक्षणिक आर्हता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति सत्यापन के समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
4. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा त्रुटि पूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी को प्रत्येक शाला हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा।
6. अभ्यर्थी अधिकतम 03 शालाओं हेतु ही आवेदन कर सकते है।
7. अभ्यर्थी द्वारा 03 से अधिक शालाओं के लिए आवेदन की जाने की स्थिति में कार्यालय को प्राप्त अभ्यर्थी के प्रथम से तृतीय क्रम के 03 शालाओं के लिए आवेदन मान्य होगा शेष आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
8. आवेदक द्वारा एक ही आवेदन में 01 से अधिक शालाओं के लिए आवेदन करने पर आवेदन में दर्शित प्रथम क्रम के शाला हेतु आवेदन माना जाएगा।
9. आवेदक को आवेदन के साथ 10 रूपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा सूचना पटल, जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा के सूचना पटल एवं बेमेतरा जिले के वेबसाईट पर **https://bemetara.gov.in/** अवलोकन की जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा

पृ.क्र./ 490 /समग्र शिक्षा/पीएम श्री/स्था./भर्ती/2026–27

बेमेतरा, दिनांक 02/09/2026

प्रतिलपि :–

1. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला बेमेतरा की ओर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला बेमेतरा को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत वितरण सहित बेमेतरा जिले के वेबसाईट **https://bemetara.gov.in/** पर अपलोड करने हेत निर्देशित।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा